रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929
No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सं. 106 (आर. ई.-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/162/312/एएम 07/पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), आरई-2004 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

पैरा 3.2.5 III में निम्नलिखित उप-पैराग्राफ अन्त में जोड़ा गया है :—

"इसके अलावा, सह-विनिर्माता, जिनके नाम पोत लदान बिलों में दिए गए हैं, सीधे आयात कर सकें, इसके लिए सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रमाण-पत्र पर ऐसे सह-विनिर्माताओं के नाम को सह-लाइसेंसधारक के रूप में पृष्ठांकित करेगा।"

परिणामस्वरूप सूचीबद्ध सह-विनिर्माता टार्गेट प्लस स्कीम, 2004—2005 और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (टार्गेट प्लस स्कीम, 2004—2005 के अधीन) जिसे पहले ही जारी कर दिया गया है, इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा, हेतु 'सह-लाइसेंसधारक' होगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th February, 2008

No. 106 (RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/162/312/AM 07/PC-I.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I), RE-2004:

In Para 3.2.5 III, the following sub-paragraph is added at the end :—

"Further in order to enable supporting manufacturers, whose names appear in the shipping bills, to import directly, Licensing Authority concerned shall endorse the names of such supporting manufacturers on the certificate as co-licensees."

Consequently listed supporting manufacturers shall be 'co-licensees' for Target Plus Scheme, 2004-05 and Duty Credit Scrips (under Target Plus Scheme, 2004-05) which have been already issued shall be deemed to be amended to this extent.

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

416 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.